व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर अपील नं. 07/2020 किस्म 225 आर.टी.एक्ट, बअनवान प्रमोदकुमार बनाम गीतादेवी वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

16.11.2021

पीठासीन अधिकारी:– श्री अरविन्द कुमार जाखड़ आर.ए.एस.

उपस्थित:– श्री जेठाराम सिंहल, श्री प्रकाश चन्द्र सोनी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02 से 05, 07 की ओर से

निर्णय

दिनांक 16.11.2021

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व विविध संख्या 27/2008 बअनवान गीतादेवी बनाम चम्पालाल वगै. में पारित आदेश दिनांक 21.01.2020 के विरूद्ध पेश हुई।

अपील में वर्णित तथ्यों को दौराते हुए अपीलांटगण के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि मौजा जेरला तहसील पचपदरा के खेत खसरा संख्या 333 रकबा 04.18 बीघा, खसरा संख्या 340 रकबा 09.13 बीघा कुल रकबा 14.11 बीघा भूमि में अपने 1/5 हिस्से के मालिकाना हकूक घोषित करने व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया। दस्तावेज रेकर्ड से यह स्पष्ट था कि वादग्रस्त भूमि नैनारामजी की सेटलमेंट से स्वयं के कब्जे काश्त की भूमि थी एवं नैनारामजी ने अपने जीवनकाल में ही अपनी पुत्रीयों रेस्पोडेंट संख्या 01 व रेस्पोडेंट संख्या 05 के विवाह के समय अपनी हैसियत के अनुसार दहेज इत्यादि का सामान देकर विवाह कर दिये गये थे एवं नैनारामजी ने अपने जीवनकाल में ही अपनी स्वअर्जित उक्त खातेदारी भूमि का वसीयतनामा अपने तीनों पुत्रों के हक में दिनांक 05.02.2007 को निष्पादित कर दिया गया था। अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी भूमि के रेकर्डेड खातेदार है व माननीय राजस्व मण्डल एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में यह निर्धारित किया जा चुका है कि रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है, जिससे यह स्पष्ट हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांटगण रेकर्डेड खातेदार होते हुए उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में भारी कानूनी भूल की है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त है। रेकर्ड पर वसीयत उपलब्ध हो जाने से वसीयत के संबंध में केवल सिविल न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार रहता हैं, जिससे राजस्व न्यायालय को वसीयत के बारे में कोई राय व्यक्त करने का अधिकार क्षेत्र ही नहीं हैं। जिससे रेकर्ड पर उपलब्ध वसीयत को न मानने में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कानूनी भूल की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दुओं का विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दु अपीलांट के विपरित किस प्रकार है। आदेश में अंकित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उपरोक्त तथ्यों का विवचेन किये बिना पारित किया गया जो काबिल निरस्त योग्य है। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 02 से 05 व 07 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीनी का उक्त कृषि भूमि या उसका कोई भी अंश प्रार्थीनी के साथ सामलाती व संयुक्त खातेदारी का होने या प्रार्थीनी का कब्जा काश्त होने के सभी कथन पूर्णतया गलत है। प्रार्थीनी ने वादपत्र या अपने आवेदन पत्र के साथ ऐसा कोई

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

दस्तावेज या खसरा गिरदावरी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। दावा दायर के दिन या उससे पहले कभी भी प्रार्थीनी का कोई कब्जा न तो रहा और न आज ही है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन हम रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार की जावे। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

RRT 2018-19(Supp.) Page 509
RRD 2004 Page 133
RRT 2018(2) Page 848
RRT 2021(2) Page 1238
RRT 2013(2) Page 828

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने व न्यायिक दृष्टांतों पर विचार करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलेंट वादीनी/रेस्पोडेंट संख्या 01 के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज हुई थी। अपीलाधीन आराजी के अधिकारों का निस्तारण जरिये वसीयतनामा नहीं किया जा कर मात्र फौतेदगी नामांतरकरण के जरिये किया गया, जो कि नामातंकरण संख्या 1254 दिनांक 05.06.07 के अवलोकन से स्पष्ट हैं। जहां तक वादग्रस्त भूमि के पैतृक होने या ना होने का प्रश्न है, यह पत्रावली पर उपस्थिति दस्तावेजों व उभयपक्षों की बहस से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आराजीवैम सेंटलमेंट वादीनी/रेस्पोडेंट संख्या 01 के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज हुई थी व उसी आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपीलाधीन आराजी को पैतृक सम्पति होने का कथन किया गया व अधिकारों की घोषणा का दावा पेश किया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हितों का निर्धारण मूल दावे के वाद सुनवाई साक्ष्य सबूत के निस्तारण पर ही संभव है। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों रेस्पोडेंट संख्या 01 के पक्ष में प्रतीत होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आवेदन वाद विवेचन एवं सुनवाई के निस्तारण किया गया जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील को खारिज करते हुए आदेश दिये जाते है कि मूल दावे के निस्तारण तक मौजा जेरला तहसील पचपदरा के खेत खसरा संख्या 333 रकबा 04.18 वीघा की भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 01/प्रार्थीनी के प्रश्नगत हक हिस्से के 1/5 वां भाग अर्थात रकबा 19 विस्वा 08 विस्वान्सी एवं वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 340 रकबा 09.13 वीघा की भूमि में रेस्पोडेंट संख्या 01/प्रार्थीनी के प्रश्नगत हक हिस्से के 1/5 वां भाग अर्थात रकबा 01 वीघा 18 विस्वा 08 विस्वान्सी भूमि जिसकी घोषणा हेतु रेस्पोडेंट संख्या 01/प्रार्थीनी ने दावा पेश किया हैं में उभयपक्ष किसी भी प्रकार का वेचान, वक्सीस का हस्तान्तरण वाद के निर्णय निस्तारण तक नहीं करे तथा अपीलांटगण व रेस्पोडेंट संख्या 02 से 05 व 07 उपरोक्त अपीलाधीन आराजी के अपने शेष हक हिस्से की भूमि का उपयोग, उपभोग करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.11.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर